आर.सी.एम.एस. नम्बर 2024/151

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 87/2024 (बैजनाथ मोदी वगैरह बनाम राजकुमार मोदी वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 30.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.10.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम मलसीसर स्थित भूमि हाल ख0न0 683 रकबा 1.09 है0 भूमि में रामकुमार पुत्र महावीर प्रसाद के स्थान पर राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद दुरूस्त किया जाता है तथा कमल कुमार मोदी को महावीर प्रसाद के वारिस की हैसियत से 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। त्रिवेणी देवी तथा पवन कुमार मोदी का देहान्त हो जाने से इनका फौती नामान्तरकरण दर्ज कर सम्पूर्ण भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5 ——1/5 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 30.10.2024 को जारी की गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी